

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Hisar Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0020

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

09/08/2023 14:41 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	418
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	467
6	IPC 1860	468
7	IPC 1860	471
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
10	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Friday

Date from (दिनांक से):

15/04/2016

Date To (दिनांक तक):

15/04/2016

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 09:00

hrs

Time To (समय तक): 17:00

hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 09/08/2023

Time (समय): 14:12

hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):

015

Date and Time

(दिनांक और समय):

09/08/2023 14:12

hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): WEST, 95 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): गांव चाहरवाला जिला सिरसा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री कैलाश चन्द DSP

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1978

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार, ACB, Hisar, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार, ACB, Hisar, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	कवावंती देवी सरपंच		Wife's Name: विनोद कुमार	1. गांव चाहरवाला, SIRSA,HARYANA,INDIA
2	विनोद		Father's Name: भूप सिंह	1. गांव चाहरवाला, SIRSA,HARYANA,INDIA
3	भरत सिंह गढवाल		Father's Name: धनपत राम	1. गांव चाहरवाला, SIRSA,HARYANA,INDIA
4	विनोद		Father's Name: आशा राम	1. गांव चाहरवाला, SIRSA,HARYANA,INDIA
5	सुभाष चन्द्र		Father's Name: रामकुमार	1. गांव शाहपुरिया,तत्कालीन,ग्राम सचिव गांव चाहरवाला, SIRSA,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में

प्रबन्धक अफसर,
थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
हिसार।

श्रीमान जी, जांच क्रमांक 05 दिनांक 29.11.2018 सिरसा शिकायतकर्ता श्री राजेश बैनिवाल वासी चाहरवाला की शिकायत के आधार पर श्रीमति कलावती देवी सरपंच ग्राम पचायत चाहरवाला जिला सिरसा वा उसके पति विनोद पुत्र भूप सिंह वासी चाहरवाला तथा भरत सिंह पुत्र धनपत राम वासीयान चाहरवाला व अन्य के विरुद्ध मुख्य सचिव

हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 61/84/2018-2 चौकसी-II दिनांक 27.11.2018 के अनुसार दर्ज रजिस्ट्रार होकर कार्यालय महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला के पत्र क्रमांक 16892/आई-3/SVB(H) दिनांक 29.11.2018 से इस मण्डल में पडताल हेतु प्राप्त हुई। जिसमें आरोप है कि श्रीमति कलावति देवी सरपंच ग्राम पंचायत चाहरवाला जिला सिरसा व उसके पति विनोद तथा भरत सिंह वासीयान चाहरवाला व अन्य ने प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नियमों के विरुद्ध अनुदान राशी का लाभ दिलवाने व उनके कार्यकाल के दौरान गाँव में करवाये गये अन्य विकास कार्यों में अधिकारीयो/कर्मचारियो से मिलीभगत करके सरकारी स्कीमों के तहत मिलने वाली राशी का गबन किया गया है।

उपरोक्त आरोपों की जांच मेरे द्वारा की गई, जांच के दौरान प्राप्त किये गये कथनों, प्रलेखों, तकनीकी रिपोर्ट से पाया गया है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिये साल 2011 में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत आधार पर जनगणना हुई थी उस सर्वे में जो व्यक्ति गरीब थे तथा जिनके पास रहने के लिये पक्के मकान नहीं थे को PMAY ID अलॉट की गई थी। गांव चाहरवाला में हुए सर्वे में इस योजना के तहत 251 व्यक्तियों जिनके पास रहने के लिये पक्के मकान नहीं थे चिन्हित किये गये थे जिनको प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना के सर्वे के तहत प्रत्येक पात्र व्यक्ति को PMAY ID अलॉट की गई थी। वह सुचि खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा द्वारा सत्यापित करने के लिये तथा योग्य उम्मीदवारों को लाभ दिलवाने की अनुसंसा करने के लिये सरपंच ग्राम पंचायत चाहरवाला के पास भेजी गई थी जिस पर श्रीमति कलावति सरपंच ग्राम पंचायत चाहरवाला द्वारा दिनांक 15.04.2016 को प्रस्ताव तैयार करके 37 पात्रों की सुचि तैयार करके उनको प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ देने की अनुसंसा करते हुए सुचि खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी नाथुसरी चौपटा के पास भेजी गई थी उस सुचि में श्रीमति कलावति सरपंच द्वारा विनोद पुत्र आशाराम जाति अनुसूचित वासी चाहरवाला को प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ देने के लिये पात्र बताया गया था जबकि प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ देने के लिये जो सर्वे हुआ था उस सुचि में विनोद पुत्र आशाराम वासी चाहरवाला को PMAY ID अलॉट नहीं हुई थी लेकिन विनोद पुत्र आशाराम वासी चाहरवाला द्वारा प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिये जो फार्म भरा गया है उसमें PMAY ID 1150179 लिखी हुई है यह PMAY ID 1150179 प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना के तहत विनोद पुत्र भाल सिंह वासी चाहरवाला के नाम अलॉट की गई थी। इस प्रकार से विनोद पुत्र आशाराम वासी चाहरवाला जो प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाने के लिये पात्र नहीं था, को सरपंच कलावति व श्री सुभाष चन्द्र तत्कालीन ग्राम सचिव ने मिलीभगत करके षडयन्त्र के तहत फर्जी कागजात तैयार करके 138000/- रुपये का गलत लाभ अपात्र व्यक्ति को दिलवा कर व पात्र व्यक्ति को उचित लाभ से वंचित करके धोखाधड़ी करके सरकार को 138000/- रुपये का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। सरपंच कलावति के पति विनोद पुत्र भूप सिंह व भरत सिंह गढवाल पुत्र श्री धनपत राम वासीयान चाहरवाला ने प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों से उनको लाभ दिलवाने की एवज 30000/- रुपये रिश्वत लेनी ब्यान हुई है तथा ग्राम पंचायत चाहरवाला में हुए विकास कार्य गोपी राम सोनी के मकान से कृष्ण धानक के मकान तक गली निर्माण का कार्य में व हनुमान मन्दिर से महेन्द्र फगडिया के घर तक गली निर्माण का कार्य में सरपंच कलावति व ग्राम सचिव सुभाष ने मिलकर क्रमश 20831 व 4555 (कुल 25386) पुरानी ईंटे लगाकर उनके स्थान पर अम्बे ब्रिक्स कम्पनी चाहरवाला की नई ईंटों के फर्जी बिल लगाकर 75410/- व 16853 (कुल 92263/- रुपये) का गबन करके सरकार को 92263/- रुपये का नुकसान पहुंचा कर श्रीमति कलावती देवी सरपंच पत्नी विनोद कुमार गाँव चाहरवाला तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा, विनोद कुमार भूप सिंह वासी चाहरवाला तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा, भरत सिंह गढवाल पुत्र श्री धनपत राम वासी चाहरवाला तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा, विनोद पुत्र आशा राम वासी चाहरवाला तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा, श्री सुभाष चन्द्र पुत्र रामकुमार वासी शाहपुरिया तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा तत्कालीन ग्राम सचिव गांव चाहरवाला के खिलाफ धारा 409,418,420,467,468,471,120बी भा0द0स0 व 13(1)(C)(d) r/w 13(2) पी.सी एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने वा अभियोग के दौरान अभियोग में किसी अन्य की संलिप्ता पाई जाने पर उनके खिलाफ भी नियमानुसार अभियोग में कार्यवाही करने का सुझाव देकर जाँच की अन्तिम रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार द्वारा महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में भेजी गई। जो महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला द्वारा पत्र क्रमांक 12399/आई-3/ भ.नि.ब्यूरो (ह0) दिनांक 20.07.2023 के अनुसार उपरोक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिये प्राप्त हुई है। इसलिये श्रीमति कलावती

देवी सरपंच पत्नी विनोद कुमार गाँव चाहरवाला तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा, विनोद पुत्र भूप सिंह वासी चाहरवाला तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा, भरत सिंह गढवाल पुत्र श्री धनपत राम वासी चाहरवाला तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा, विनोद पुत्र आशा राम वासी चाहरवाला तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा, श्री सुभाष चन्द्र पुत्र रामकुमार वासी शाहपुरिया तहसील नाथुसरी चौपटा जिला सिरसा तत्कालीन ग्राम सचिव गांव चाहरवाला के खिलाफ धारा 409,418,420,467,468,471,120बी भा0द0स0 व 13(1)(C)(d) r/w 13(2) पी.सी एक्ट के तहत अभियोग अकिंत करके जाँच क्रमांक 05 दिनांक 29.11.2018 सिरसा की 07 फाईले अनुसंधान के लिये निजद निरीक्षक सुखजीत सिंह, उप केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरसा को भेजी जा रही है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति बजरिया डाक/ई-मेल ईलाका मजिस्ट्रेट साहब व पुलिस अधीक्षक सिरसा व अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को भिजवाई जा रही है।

SD Kailash Chand

(कैलाश चन्द) ह.पु.से.

उप पुलिस अधीक्षक,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

हिसार मण्डल) हिसार।

अज थाना:- उपरोक्त तहरीर पर मुकदमा नं. 20 दिनांक 09.08.2023 जेर धारा 409,418,420,467,468, 471,120बी भा0द0स0 व 13(1)(C)(d) r/w 13(2) पी.सी एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर नकल मिशल मय असल लेख मय आमदा रिकार्ड कुल 7 फाईलें बराये तफतीश निरीक्षक सुखजीत सिंह, उप केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरसा के पास भेजी जा रही हैं। नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब सिरसा व पुलिस अधीक्षक सिरसा को बजरिया ई-मेल से भेजी जा रही है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
/ or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Rank (पद): I (Inspector)
SUKHJEET SINGH

No. (सं.): PINSP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया)
or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण
हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Satyapal

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 303/SPT

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7
संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known /
seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात
/ देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes
3	Male					Is pox pitted: Yes
4	Male					Is pox pitted: Yes
5	Male					Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)